रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 2015/श्रावण 16, 1937
No. 495] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 2015/SHRAVANA 16, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 2015

सं. 44/2015-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 618(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 12/2012 सीमा-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का. नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित हुई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में—

(क) सारणी में, क्रम सं 34 के सामने, स्तंभ (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

(ख) सारणी के पश्चात, परंतुक में (कख) खंड के पश्चात, निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

"(कग) 1 अप्रैल, 2016 को या उसके पश्चात उक्त सारणी के क्रम सं. 34 के सामने विनिर्दिष्ट माल" ।

[फा. सं. 354/68/2006-टीआरयू]

अक्षय जोशी, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सं. 12/2012-सीमा-शुल्क, तारीख 17 मार्च, 2012, सा.का.नि. 185(अ), तारीख 17 मार्च, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसमें अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) द्वारा अधिसूचना सं. 43/2015-सीमा-शुल्क, तारीख 4 अगस्त, 2015, सा.का.नि. 613(अ), तारीख 4 अगस्त, 2015 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 2015

No. 44 /2015 – Customs

G.S.R. 618(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012, namely :—

In the said notification,-

(a) in the Table, against S. No.34, for the entry in column (4), the entry "10%" shall be substituted;

(b) after the Table, in the proviso, after clause (ab), the following clause shall be inserted, namely:-

"(ac) the goods specified against serial number 34 of the said Table on or after the 1st day of April, 2016."

[F. No.354/68/2006-TRU]

AKSHAY JOSHI, Under Secy.

Note.—The principal notification No.12/2012-Customs, dated the 17th March, 2012, was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 185(E), dated the 17th March, 2012 and was last amended by notification No. 43/2015-Customs, dated the 4th August, 2015 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 613(E), dated the 4th August, 2015.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.